संख्या–269 / 49–3–2014–100(25) / 92टी0.सी. ।।।

प्रेषक,

राम किशोर,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निबन्धक
सहकारी समितियॉ, उ0प्र0,
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक 05 मार्च, 2014.

विषय– एकीकृत सहकारी विकास परियोजना (आई.सी.डी.पी.) योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 में वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–529–31 / मानी0सेल0 / लेखा, दिनॉक 07 फरवरी, 2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आई.सी.डी.पी. योजनान्तर्गत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा क्रमशः जनपद इटावा, बलिया, मुरादाबाद, बरेली, सहारनपुर, बॉदा, एटा तथा कांशीरामनगर में एन0सी0डी0सी0 नई दिल्ली से प्राप्त होने वाली परियोजनाओ के कार्यान्वयन की स्वीकृति के लिये, वर्ष 2013–14 में स्वीकृत आय–व्ययक प्राविधान के सापेक्ष रू0 880.00 लाख ऋण, रू0 968.06 लाख अंशपूँजी तथा रू0 194.00 लाख परियोजना अनुदान तथा रू0 232.00 लाख पी0आई0टी0 हेतु अनुदान कुल रू0 2274.06 लाख (बाईस करोड़ चौवहत्तर लाख छः हजार मात्र) संलग्न विवरण के अनुसार आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3– उक्त धनराशि वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–640 / दस–2013–231 / 2013, दिनांक 28 मार्च, 2013 में उल्लिखित प्रकिया / प्रतिबन्धों के आधार पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन स्वीकृत की जा रही है :–

154
13.2.14

(1) स्वीकृति की जा रही धनराशि का आहरण एन0सी0डी0सी0 से परियोजनाओं की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत ही किया जायेगा।

(2) पूर्व में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध हो जाने पर वर्ष 2013–14 में स्वीकृत धनराशि का आहरण नियमानुसार किया जाय तथा उक्त धनराशि जिन मदों में स्वीकृत की जा रही है, उन्हीं मदों में नियमानुसार व्यय की जायेगी। इसके अतिरिक्त आयुक्त एवं निबधक, सहकारी समितियॉ, उ0प्र0 द्वारा इस सम्बन्ध में सुस्पष्ट सूचना शासन को उपलब्ध करायी जायेगी कि लाभार्थी समितियों द्वारा ऋण का प्रतिदान एवं ब्याज का संदाय नियमित रूप से शासन को किया जा रहा है। उपयोगिता प्रमाण–पत्र भी प्राप्त कर लिये जाये तथा यह भी देखा जाए कि जिन समितियों के पक्ष में स्वीकृतियॉ जारी की जा रही है क्या वे लाभ अर्जन की स्थिति में है?

2 /

(3) स्वीकृत अनुदान की धनराशि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा स्वीकृत परियोजना में उल्लिखित शर्तो के अनुसार ही व्यय की जायेगी।

(4) स्वीकृत धनराशि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की परियोजना के निर्धारित पैटर्न पर राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में व समय–समय पर प्राप्त एवं निर्गत होने वाली शर्तो के अनुरूप ही नियंत्रित होगी। स्वीकृत धनराशि प्रोजेक्ट सैंक्शन करने वाली कृषि उत्पादन आयुक्त (ए0पी0सी0) की अध्यक्षता वाली समिति से स्वीकृत प्रोजेक्टस में निवेश हेतु आवश्यकतानुसार धनराशि आहरित की जायेगी।

(5) इन शर्तो के अनुपालन को सुनिश्चित किये जाने की पूर्ण जिम्मेदारी आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारी समितियॉ,उ0प्र0, लखनऊ की होगी।

(6) आवश्यक उपयोग प्रमाण–पत्र एवं इसकी सूचना यथासमय, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को तथा राज्य सरकार को त्रैमासिक रूप से उपलब्ध कराना होगा और पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित होने के उपरान्त भौतिक प्रगति की सूचना भी शासन को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।

(7) उपरोक्त पैरा–1 में स्वीकृत धनराशि किसी अन्य प्रयोजन के लिये प्रयोग में नही लायी जायेगी। लेखों का लेखा परीक्षण मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, उ०प्र० द्वारा किया जायेगा तथा लेखों का लेखा परीक्षक, महालेखाकार, उ०प्र० द्वारा भी किया जा सकता है।

(8) उन्हीं समितियों को चयनित किया जाये जो मार्गदर्शिका के अनुसार लाभ अर्जित करने की स्थिति में हो तथा यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि अंशधन देने के बाद यह समितियाँ आर्थिक रूप से उपादेयता की स्थिति प्राप्त कर लेगी।

(9) योजना के अनुश्रवण मानक निर्धारित कर उद्देश्यों की पूर्ति की जानी सुनिश्चित की जाये।

4– इस शासनादेश के प्रस्तर–3 के बिन्दु संख्या–1 से 08 में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियन्त्रक/मुख्य/विशिष्ट लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, की होगी एवं उनका यह दायित्व होगा कि उक्त सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त विभाग/शासन को दी जायेगी।

5– उपर्युक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–18 के अन्तर्गत निम्नलिखित लेखा शीर्षकों के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामे डाला जायेगा :–

लेखाशीर्षक :–

	(धनराशि लाख रूपये में)
"2425– सहकारिता – आयोजनागत	
800– अन्य व्यय	426.00
04– एकीकृत विकास परियोजना (एन0सी0डी0सी0 पोषित)	
27– सब्सिडी	
"4425– सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय–आयोजनागत	
200– अन्य निवेश	968.06

05– एकीकृत सहकारी विकास योजना के अन्तर्गत
सहकारी संस्थाओं में अंशपूँजी विनियोजन
(एन0सी0डी0सी0 पोषित)
30– निवेश / ऋण"

"6425– सहकारिता के लिय कर्ज–आयोजनेत्तर 880.00
800– अन्य कर्ज
04– एकीकृत सहकारी विकास परियोजना के अन्तर्गत ऋण
(एन0सी0डी0सी0 पोषित)
30– निवेश / ऋण"

योग 2274.06

6– राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से प्राप्त होने वाली वित्तीय सहायता की अनुदान धनराशि रू0 310.00 लाख (रूपये तीन करोड़ दस लाख मात्र) की प्राप्तियॉ लेखा शीर्षक "0425–सहकारिता–800–अन्य प्राप्तियॉ–03–राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से प्राप्त अनुदान" में एवं ऋण रू0 1848.06 लाख (रूपया अट्ठारह करोड़ अड़तालिस लाख छः हजार मात्र) की प्राप्तियॉ लेखा शीर्षक "6003–राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण–108–राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से कर्ज–18–सहकारिता" के अन्तर्गत जमा किया जायेगा।

7– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–ई–2–184 / दस–2014, दिनॉक 05 मार्च, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(राम किशोर)
संयुक्त सचिव

संख्या-269 (1) / 49–3–2014–100(25) / 92टी0सी0– ।।। तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश,इलाहाबाद।
2– महालेखाकार, (लेखा –परीक्षा) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3– जिलाधिकारी, इटावा, बलिया, मुरादाबाद, बरेली, सहारनपुर, बॉदा, एटा तथा कांशीरामनगर।
4– प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम–4–सीरी इन्स्टीट्यूशनल एरिया, हौजखास, नई दिल्ली।
5– मुख्य क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, सहकारिता भवन, लखनऊ।
6– वित्त नियंत्रक / लेखाधिकारी, सहकारितॉ, उ0प्र0, लखनऊ।
7– सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, सहकारिता,उ0प्र0, इटावा, बलिया, मुरादाबाद, बरेली, सहारनपुर, बॉदा, एटा तथा कांशीरामनगर।
8– सचिव / महा प्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक लि0 इटावा, बलिया, मुरादाबाद, बरेली, सहारनपुर, बॉदा, एटा तथा कांशीरामनगर ।
9– मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियॉ एवं पंचायतें, उ0प्र0 लखनऊ।
10– मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
11– वेब मास्टर, आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0, लखनऊ।
12– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–2
13– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 / 2 / 3 / 4
14– वित्त संसाधन(केन्द्रीय सहायता) अनुभाग–1
15– नियोजन अनुभाग–3
16– बजट समन्वय / सम्बन्धित सहायक।
17– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम किशोर)
संयुक्त सचिव।

.....4 /

संख्या- (1)/49-3-2014-100(25)/92टी0सी0-III, दिनांक मार्च, 2014
का संलग्नक-

(धनराशि लाख रू0 में)

क्रमांक	नाम परियोजना/अध्ययनकर्ता	ऋण	अंशपूँजी	परियोजना हेतु अनुदान	पी0आई0 टी0 हेतु अनुदान	योग
1	इटावा	190.00	240.00	28.00	27.00	485.00
2	बलिया	130.00	180.00	26.00	25.00	361.00
3	मुरादाबाद	94.00	92.00	24.00	30.00	240.00
4	बरेली	94.00	92.00	24.00	30.00	240.00
5	सहारनपुर	94.00	92.00	24.00	30.00	240.00
6	बाँदा	94.00	92.00	24.00	30.00	240.00
7	एटा	94.00	90.06	24.00	30.00	238.06
8	काशीरामनगर (कासगंज)	90.00	90.00	20.00	30.00	230.00
	योग	**880.00**	**968.06**	**194.00**	**232.00**	**2274.06**

लेखाशीर्षक :-

(धनराशि लाख रूपये में)

"2425- सहकारिता - आयोजनागत
800- अन्य व्यय 426.00
04- एकीकृत विकास परियोजना
(एन0सी0डी0सी0 पोषित)
27- सब्सिडी

"4425- सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत
200- अन्य निवेश 968.06
05- एकीकृत सहकारी विकास योजना के अन्तर्गत
सहकारी संस्थाओं में अंशपूँजी विनियोजन
(एन0सी0डी0सी0 पोषित)
30- निवेश/ऋण"

"6425- सहकारिता के लिय कर्ज-आयोजनेत्तर
800- अन्य कर्ज 880.00
04- एकीकृत सहकारी विकास परियोजना के अन्तर्गत ऋण
(एन0सी0डी0सी0 पोषित)
30- निवेश/ऋण"

योग 2274.06

शब्दो में:- (बाईस करोड़ चौवहत्तर लाख छः हजार मात्र)

(राम किशोर)
संयुक्त सचिव।